

219

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट

RS243-II/15

कोर्ट रीवा (म0प्र0)



Rs. 30/-

शिवकरण उर्फ शुभकरण तनय कन्हई तेली, निवासी ग्राम पापल, तह0 सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0

-----निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम्

- 1- मेसर्स डी0बी0पावर प्लाट एम0पी0लि0 द्वारा अधिकृत सहायक प्रबंधक प्रेस काम्पलेक्स एम0पी0नगर भोपाल, जिला भोपाल म0प्र0
  - 2- रामपति तनय शोभनाथ साहू
  - 3- जगरनिया तनय शोभनाथ साहू
  - 4- परनुआ तनय शोभनाथ साहू
  - 5- प्रभूदेवी तनय शोभनाथ साहू
  - 6- छोटकिन तनय शोभनाथ साहू
  - 7- शिवप्रसाद तनय तेजा साहू
  - 8- गया प्रसाद तनय तेजा साहू
- 02 ता 08 निवासी ग्राम -निवास, तह0 सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0

-----गैरनिगरानीकर्तागण /अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर संभाग रीवा के प्र0 कमांक 414/अपील/14-15में पारित आदेश दिनांक 13.10.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

श्री. देवकी नारायण साहू, जिला मजिस्ट्रेट, रीवा, तह0 सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0 के पास आज दिनांक 13.10.2015 को प्रस्तुत किया गया।

श्री. देवकी नारायण साहू  
रीवा  
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :-

यह कि ग्राम गोर्गी पटवारी हल्का पापल, सर्किल धौहनी वर्तमान सर्किल निवास, तह0 देवसर वर्तमान सरई, जिला सिंगरौली स्थित भूमि नं0 4.82, 83/1, 85, 101, 204, 319, 327, 328, 329, 374 कुल 11 किता, कुल रकवा 7.01 है। भूमि के निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण 02 ता 08 संयुक्त खातेदार है जो राजस्व रिकार्ड दर्ज है उक्त भूमियो को गैरनिगरानीकर्तागण कमांक 02 ता 08 द्वारा जरिये विक्रय विलेख गैरनिगरानीकर्ता कमांक 01 को बिक्रीत कर उसका नामांतरण गैरनिगरानीकर्ता कमांक 01 के पक्ष में राजस्व प्रकरण कमांक 493-6/2010-11 पारित आदेश दिनांक 18.11.2010 नायव तहसीलदार तह0

शिवकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.5243-II/15

जिला-सिंगरौली

शिवकरण उर्फ शुभकरण साहू/मे० डी०बी० पावर प्लांट

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	